भारत सरकार

जनजातीय कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 5496

उत्तर देने की तारीख 03.04.2025

राजस्थान में जनजातीय लोगों का पलायन

5496. डॉ. मन्ना लाल रावत:

क्या **जनजातीय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या जनजातीय लोग रोजगार की तलाश में जनजातीय क्षेत्रों से पलायन कर रहे हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) राजस्थान में जिला और ब्लॉक-वार, विशेषकर उदयपुर संभाग में पलायन करने वाले जनजातीय व्यक्तियों की संख्या कितनी है;

(ग) क्या सरकार ऐसे प्रवास को रोकने के लिए कोई योजना क्रियान्वित कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या उक्त योजनाओं के कार्यान्वयन के बाद पलायन में कमी आई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

जनजातीय कार्य राज्यमंत्री

(श्री दुर्गादास उइके)

(क) और **(ख):** जनगणना 2011 के अनुसार अंतरराज्यीय प्रवास (पलायन) के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं, हालांकि प्रत्येक राज्य के भीतर प्रवास (पलायन) उपलब्ध है। भारत के सभी राज्यों में रोजगार और व्यवसाय के लिए आंतरिक प्रवास (पलायन) का विवरण लिंक **https://censusindia.gov.in/census.website/data/census-tables# (डी-03 (अजजा) अंतिम निवास स्थान, निवास की अवधि और प्रवास (पलायन) के कारण के अनुसार राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के भीतर प्रवासी - 2011)** पर उपलब्ध है।

राजस्थान सरकार ने पुष्टि की है कि राजस्थान से गुजरात और मध्य प्रदेश जैसे नजदीकी राज्यों में अल्प अवधि के लिए प्रवास (पलायन) होता है, हालांकि इसके लिए डेटा नहीं रखा जाता है। जनगणना 2011 के अनुसार, उदयपुर संभाग सहित राजस्थान के जिलों के आंतरिक प्रवास (पलायन) के डेटा लिंक **https://censusindia.gov.in/census.website/data/census-tables# (डी-03 (अजजा) अंतिम निवास स्थान, निवास की अवधि और प्रवास (पलायन) के कारण के अनुसार राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के भीतर प्रवासी - 2011, राजस्थान)** पर उपलब्ध है।

(ग) एवं (घ): भारत सरकार जनजातियों के अपने स्थानीय अधिवास (पर्यावास) से पलायन (प्रवास) को रोकने के लिए कई योजनाएं क्रियान्वित कर रही है।

1. जनजातीय कार्य मंत्रालय निम्नलिखित योजनाओं का कार्यान्वयन कर रहा है:

i. पीएम जनमन (प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियान) - 18 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में रहने वाले 75 पीवीटीजी समुदायों जो मुख्य रूप से जनजातीय हैं, के सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए एक नया अभियान है। इस मिशन का लक्ष्य 3 वर्षों में सुरक्षित आवास, स्वच्छ पेयजल और शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण, सड़क और दूरसंचार

संपर्क, अविद्युतीकृत घरों का विद्युतीकरण और स्थायी आजीविका के अवसरों तक बेहतर पहुंच जैसी बुनियादी सुविधाएं प्रदान करना है। लगभग 87 एमपीसी केंद्र क्रियाशील हैं। 17 राजस्थान में हैं।

ii. डीएजेजीयूए- धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान 2 अक्टूबर, 2024 को माननीय प्रधानमंत्री द्वारा शुरू किया गया है। इस अभियान में 17-संबंधित (लाइन) मंत्रालयों द्वारा कार्यान्वित 25 उपाय शामिल हैं और इसका लक्ष्य 5 वर्षों में 63,843 गांवों में बुनियादी ढांचे के अंतरों को पूरा करना, स्वास्थ्य, शिक्षा, आंगनवाड़ी सुविधाओं तक पहुंच में सुधार करना और 30 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के 549 जिलों और 2,911 ब्लॉकों में आजीविका के अवसर प्रदान करना है। जनजातीय परिवारों के लिए आजीविका के अवसरों में सुधार और एफआरए पट्टा धारकों और जन शिक्षण संस्थानों के लिए गृह प्रवास (पलायन) (होम स्टे), कृषि, पशुपालन और मत्स्य पालन के माध्यम से आजीविका के माध्यम से उद्यमिता कौशल विकसित करना।

iii. वन धन विकास केंद्र (वीडीवीके): वीडीवीके का उद्देश्य जनजातीय संग्रहकर्ताओं/उद्यमियों को मिलाकर एक जनजातीय उद्यम बनाना है, जो मूल्यवर्धित उत्पादों के संग्रहण, मूल्य-संवर्धन, पैकेजिंग, ब्रांडिंग और विपणन से लेकर सभी संबंधित गतिविधियों को सामूहिक रूप से संचालित करेंगे। यह पहल जनजातीय परिवारों को नियमित आजीविका और आय सृजन के अवसर प्रदान कर सकती है।

iv. राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम (एनएसटीएफडीसी) अनुसूचित जनजातियों के आर्थिक विकास के लिए विशेष रूप से स्थापित एक शीर्ष संगठन है। यह निगम अनुसूचित जनजातियों की उत्पादकता में सुधार के लिए रियायती ब्याज दर पर वित्तीय सहायता प्रदान करके उनके आर्थिक उत्थान में अग्रणी भूमिका निभाता है।

2. जनजातीय लोगों के कल्याण के लिए उन्हें आजीविका और रोजगार उपलब्ध कराने हेतु अन्य केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों की प्रमुख पहलें नीचे दी गई हैं:

(i) महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) की शुरुआत ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक परिवार जिसके वयस्क सदस्य अकुशल शारीरिक कार्य करने के लिए स्वेच्छा से तैयार होते हैं, को एक वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिनों का गारंटीकृत मजदूरी रोजगार उपलब्ध कराते हुए आजीविका सुरक्षा को बढ़ाने के उद्देश्य से की गई थी।

(ii) प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना: इस योजना के अंतर्गत लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत आने वाले सभी लाभार्थियों को प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलोग्राम के दर से मुफ्त खाद्यान्न का अतिरिक्त आवंटन प्रदान किया जा रहा है।

(iii) प्रधानमंत्री जन धन योजना (पीएमजेडीवाई) आधारभूत बचत बैंक खाते की उपलब्धता, आवश्यकता आधारित ऋण तक पहुंच, धन प्रेषण सुविधा, बीमा और पेंशन जैसी विभिन्न वित्तीय सेवाओं तक वंचित वर्गों यानी कमजोर वर्गों और निम्न आय समूहों की पहुंच को सुनिश्चित कर रही है। सस्ती लागत पर इतनी गहरी पहुंच केवल प्रौद्योगिकी के प्रभावी उपयोग से ही संभव है।

(iv) पीएम किसान योजना छोटे और मध्यम श्रेणी के किसानों की आय में वृद्धि करने के उद्देश्य से शुरू की गई है। डिजिटल इंडिया पहल के साथ मिलकर इस योजना ने देश के किसानों तक पीएम किसान योजना का लाभ पहुंचाना संभव बना दिया है।

(v) प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई): इस कौशल प्रमाणन योजना का उद्देश्य बड़ी संख्या में भारतीय युवाओं को उद्योग-संबंधित कौशल प्रशिक्षण लेने में सक्षम बनाना है, जो उन्हें बेहतर आजीविका हासिल करने में मदद करेगी। पूर्व

शिक्षण अनुभव या कौशल वाले व्यक्तियों का भी पूर्व शिक्षण की मान्यता (आरपीएल) के तहत मूल्यांकन और प्रमाणन किया जाता है।

3. राजस्थान राज्य सरकार योजनाएं क्रियान्वित कर रही है

(i) राजस्थान कौशल आजीविका विकास निगम जो जनजातियों के लिए कौशल विकसित करता है ताकि वे भी आजीविका अर्जित करने में सक्षम हो सकें।

(ii) जनजातीय किसानों को मक्का और सब्जियों के लिए बीज किट भी दी जाती है ताकि उन्हें अतिरिक्त आय और आजीविका का वैकल्पिक साधन मिल सके और उन्हें पलायन (प्रवास) न करना पड़े।

*****